



टी बोर्ड भारत Tea Board India

14, बी.टी.एम सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700 001

14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001

www.teaboard.gov.in

दिनांक 29.07.2025

परिपत्र

विषय: "भारत ब्रांड" के अंतर्गत चिन्हित छह (6) प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करना।

यह सूचना टीबीआई वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के 5 कार्य दिवसों के भीतर अनुबंध - 1 में दिए गए "भारत ब्रांड" के तहत पहचाने गए छह (6) प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए निर्यातकों से रुचि आमंत्रित करने के लिए दिया गया है।

कृपया ध्यान दें कि उक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी उप-घटक की पात्रता, नियम और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगी - "घटक 2: 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए चाय विकास और संवर्धन योजना के चाय संवर्धन और बाजार समर्थन" (संलग्न) के उप-घटक - "2.1.3.1 चाय बोर्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी"।

प्रभारी सचिव
टी बोर्ड भारत

"भारत ब्रांडिंग" के अंतर्गत 2025-26 के लिए सुझाए गए निर्यात संवर्धन कार्यक्रम (व्यापार मेले)

क्र. सं.	व्यापार प्रदर्शनियाँ/मेले	दिनांक
(1)	विश्व खाद्य मास्को	सितम्बर 16-19, 2025
(2)	अनुगा	अक्टूबर 4-8, 2025
(3)	गल्फ फूड, दुबई	जनवरी 26-30, 2025
(4)	बायो-फैच	फरवरी 10-13, 2025
(5)	फूडएक्स, जापान	मार्च 30, 2025
(6)	आईएफई, लंदन	मार्च 30, 2025- -अप्रैल 1, 2026

"भारत ब्रांडिंग" पर टिप्पणी: माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत 2047 तक "विकसित भारत" बनने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। इस संदर्भ में, चाय, कॉफी, मसाले, डेयरी और विभिन्न अनुसूचित उत्पादों जैसे कृषि-उत्पादों में देश की तीव्र प्रगति को "मेक इन इंडिया" प्रस्ताव के अनुरूप एक व्यापक "भारत ब्रांड" के अंतर्गत प्रस्तुत करने और इस प्रक्रिया में एक मज़बूत ब्रांड भारत और समता विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

इस दिशा में, मंत्रालय द्वारा एपीडा के साथ संयुक्त भागीदारी के लिए उपरोक्त छह (6) प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का प्रस्ताव किया गया है, जो एक व्यापक इंडिया पैवेलियन अर्थात "भारत" के अंतर्गत होगा।

2.1.3 अंतर्राष्ट्रीय संवर्धनात्मक कार्यक्रम, पीआर और नेटवर्किंग गतिविधियाँ, बीएसएमएस/आरबीएसएमएस आदि जिसमें इनबाउंड और आउटबाउंड प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं

2.1.3.1 टी बोर्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी

क. उद्देश्य

निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और क्रेता-विक्रेता के बीच प्रभावी एवं कुशल बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करना। ये मेले भारतीय चाय और उसकी विभिन्न किस्मों की दृश्यता बढ़ाने, उनकी छवि और ब्रांड इक्विटी को बढ़ाने के लिए उपयोगी मंच के रूप में कार्य करते हैं।

ख. पात्रता मापदंड

टी बोर्ड इस उप-घटक 2.1.3 के अंतर्गत गतिविधियों के लिए एक व्यापक योजना तैयार करेगा, जिसमें हितधारकों और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ परामर्श के बाद शामिल किए जाने वाले देशों और कार्यक्रमों का विवरण शामिल होगा।

धारा 1 के भाग ए में पहले से उल्लिखित सामान्य दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, प्रतिभागियों के चयन के लिए निम्नलिखित पात्रताएं हैं।

- 1) टी बोर्ड का वैध निर्यात अनुज्ञापन रखने वाले सभी निर्यातक
- 2) आवेदकों को यह वचन देना होगा कि उन पर व्यापार और व्यवसाय से संबंधित किसी भी आधार पर कोई जांच/ आरोप/ मुकदमा/निषेध/काली सूची में नहीं डाला गया है।
- 3) आवेदक निर्यातक मासिक निर्यात रिटर्न जमा करने में चूककर्ता नहीं होंगे।
- 4) निर्यातकों के पास मानदंडों के अनुसार टी बोर्ड के साथ प्रासंगिक और वैध लोगो पंजीकरण होना चाहिए।
- 5) आवेदक को टी बोर्ड की किसी योजना का लाभ उठाने से वंचित नहीं किया गया है।

ग. शर्तें

धारा 1 के भाग ए में पहले से उल्लिखित सामान्य दिशानिर्देशों और ऊपर उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी

1. आयोजनों में केवल भारतीय चाय का ही प्रदर्शन नमूना/बिक्री/प्रचार किया जाना चाहिए। भारतीय चाय जिसमें कैमेलिया साइनेंसिस मुख्य घटक न हो, साथ ही भारत के अलावा अन्य मूल की चाय का प्रदर्शन, नमूना/बिक्री/संवर्धन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाना चाहिए।

2. प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रदर्शन सौंदर्यपूर्ण ढंग से रखा जाए तथा प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान उन्हें आवंटित स्थान पर समुचित लोग मौजूद रहें।
3. प्रदर्शनी लगाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि अधिमानतः वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के होने चाहिए। कार्यक्रम समाप्त होने से पहले स्टॉल खाली छोड़ना गंभीरता से लिया जाएगा और टी बोर्ड द्वारा अगले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयन से वंचित कर दिया जाएगा।
4. मूल्यवर्धित चाय निर्यातक जिनके पास उत्पादों और नमूनों की एक विस्तृत श्रृंखला है और जो अधिक स्थान चाहते हैं, उन्हें वास्तविक लागत पर अतिरिक्त स्थान प्रदान किया जा सकता है, यदि टी बोर्ड का बजट अनुमति देता है और टी बोर्ड के बूथ के साथ अतिरिक्त स्थान प्राप्त करना संभव है। यदि निर्यातक मेले में अलग से समर्पित स्थान चाहते हैं, तो वे सीधे मेला आयोजकों से इसे प्राप्त कर सकते हैं। टी बोर्ड घटक दिशानिर्देशों के अनुसार और धन की उपलब्धता के अधीन, ऐसे स्टॉल स्थान के लिए भी सहायता प्रदान करने पर विचार करेगा।
5. एक वित्तीय वर्ष में प्रति कंपनी कुल चार (4) भागीदारी की अनुमति होगी
6. समूह कंपनियों के लिए केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा, जहां पूरे समूह को एक आवेदक माना जाएगा।
7. यदि निर्यातक, जिसने भागीदारी की पुष्टि कर दी है, आयोजन शुरू होने से एक महीने पहले भागीदारी से पीछे हट जाता है तो अग्रिम भागीदारी शुल्क और आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
8. टी बोर्ड केवल बुनियादी सुसज्जित स्टॉल स्थान उपलब्ध कराएगा। अन्य सभी आवश्यकताएँ जैसे आवास, वीज़ा, दुभाषिया, नमूना लेने के उपकरण, रसद, अतिरिक्त फर्नीचर, साज-सज्जा आदि और अन्य आकस्मिक शुल्क निर्यातक द्वारा ही वहन किए जाएंगे।

टी बोर्ड के पास सीमित स्थान की उपलब्धता की स्थिति में, प्रतिभागियों का चयन अधिमानतः इस प्रकार किया जाएगा कि कार्यक्रम में उद्योग जगत का समान और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। ऐसे मामले में, निम्नलिखित भागीदारी विभाजन को लक्षित किया जाएगा। उद्यमी/लघु उत्पादक/एफपीओ/स्टार्ट-अप

क्र. सं.	खंड	प्रतिनिधिमंडल में % प्रतिनिधित्व
1.	वैश्व निर्यातक	25%
2.	उत्पादक निर्यातक	20%
3.	उद्यमी/लघु उत्पादक/एफपीओ/स्टार्ट-अप	15%
4.	जैविक निर्यातकों सहित मूल्यवर्धित निर्यातक	30%
5.	पहली बार निर्यातक/नए निर्यातक	10%

खंड 1.2 एवं 4 में अधिक प्रविष्टियाँ होने पर, चयन का निर्णय नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर लिया जाएगा। जबकि खंड 3 एवं 5 के मामले में, चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

प्राथमिकता सूची के लिए निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग किया जा सकता है

- सामान्यतः कुल निर्यात मूल्य में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)
- उस विशेष बाजार के लिए कुल निर्यात मूल्य में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)
- मूल्यवर्धित चाय का निर्यात।

9. स्व-घोषणा कि कंपनी ने किसी विशेष आयोजन के लिए सरकार की किसी अन्य योजना या किसी अन्य सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन से लाभ नहीं लिया है और न ही लेगी।

घ. आवेदन प्रस्तुत करना

- 1) भागीदारी में रुचि रखने वाले निर्यातकों को टी बोर्ड को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें भागीदारी में उनकी रुचि के बारे में जानकारी दी जाएगी।
- 2) टी बोर्ड की वेबसाइट पर कार्यक्रम अपलोड करने के बाद आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
- 3) यदि आयोजन में संयुक्त भागीदारी के लिए अपेक्षित निर्यातकों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं है, जिससे टी बोर्ड के पास उपलब्ध स्थान का इष्टतम उपयोग किया जा सके, तो टी बोर्ड अंतिम तिथि को बल सकता है।
- 4) यदि आवेदन करने वाले निर्यातकों की संख्या टी बोर्ड के पास उपलब्ध स्थान से अधिक हो जाती है, तो उनका चयन ऊपर बिंदु 'ग' में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। हालाँकि, किसी भी चयनित निर्यातक द्वारा आवेदन रद्द करने या वापस लेने की स्थिति में, प्राथमिकता सूची में अगले पात्र निर्यातक को अवसर प्रदान किया जाएगा।

ड. आवेदन शुल्क

- 1) लघु चाय उत्पादकों/एफपीओ के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 10,000/- रुपये + जीएसटी की गैर-वापसी राशि जमा करनी होगी और एफपीसी के लिए आवेदन शुल्क 1000/- रुपये + जीएसटी होगा। एससी/एसटी के छोटे उत्पादकों को इससे छूट दी गई है।
- 2) आवेदन के समय जमा की जाने वाली भागीदारी शुल्क के रूप में 2.00 लाख रुपये (केवल दो लाख रुपये) का अग्रिम भुगतान। स्टार्ट-अप (स्टार्ट-अप इंडिया के अंतर्गत पंजीकृत) के मामले में लागू नहीं।
- 3) यदि कोई चयनित प्रतिभागी प्रतियोगिता प्रारंभ होने की तिथि से एक माह पूर्व तक अपना नाम वापस ले लेता है तो उसका आवेदन एवं भागीदारी शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

च. आवेदनों की जांच

प्राप्त आवेदनों की बोर्ड अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी तथा आवेदकों को ऑनलाइन सूचना दी जाएगी।

छ. मंजूरी जारी करना

आवेदन की जांच पूरी होने पर, निधि की उपलब्धता के आधार पर, भागीदारी के लिए अनुमोदन की सूचना दी जाएगी। वीजा प्राप्त करना, यात्रा, आवास, दुभाषिए आदि की व्यवस्था प्रतिभागियों को स्वयं करनी होगी।

ज. गतिविधि के पूरा होने के संबंध में सूचना

1. मेले/प्रदर्शनी के समापन और भारत लौटने पर, भाग लेने वाली कंपनियों को अपने ई-बोर्डिंग पास टी बोर्ड को कंपनी के लेटरहेड पर एक घोषणापत्र के साथ जमा करने होंगे कि बोर्डिंग पास की प्रतियों का उपयोग उस विशेष आयोजन के संबंध में किसी अन्य संगठन से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाएगा। ऐसा न करने पर, टी बोर्ड के साथ अगले मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आयोजन के बारे में रिपोर्ट और फीडबैक, उत्पन्न जागरूकता, प्राप्त आदेश आदि आयोजन के समापन की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. सभी व्ययों के संकलन के बाद, निर्यातकों को भुगतान के बारे में सूचित किया जाएगा, यदि कोई हो, तो आयोजन के हिस्से के 40%/20% या इसके विपरीत।

झ. संवितरण

संतोषजनक समापन रिपोर्ट प्राप्त होने और उप-अध्यक्ष द्वारा इसकी पुष्टि के 30 दिनों के भीतर, बोर्ड का हिस्सा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, लागू होने पर वितरित किया जाएगा।

ञ. सहायता का पैमाना

- 1) सुसज्जित स्टाल की कुल लागत का 60 %।
- 2) स्टार्ट अप के मामले में उनके सुसज्जित स्टॉल के लिए कुल लागत का 80%
- 3) यदि दोनों पक्षों की ओर से कोई अतिरिक्त राशि है, तो उसे आयोजन के समापन के बाद अंतिम गणना में समायोजित (वापस किया/वापस लिया) कर दिया जाएगा। यदि गणना में भागीदारी शुल्क से अधिक राशि आती है, तो आवेदक को शेष राशि का भुगतान करना होगा और इसके विपरीत, अर्थात् यदि राशि भागीदारी शुल्क से कम है, तो टी बोर्ड शेष राशि वापस कर देगा।

- 4) टी बोर्ड केवल बुनियादी सुसज्जित स्टॉल स्थान उपलब्ध कराएगा। अन्य सभी आवश्यकताओं, जैसे आवास, वीज़ा, दुभाषिया, नमूना लेने के उपकरण, रसद, अतिरिक्त फर्नीचर, साज-सज्जा आदि और अन्य आकस्मिक शुल्कों की व्यवस्था निर्यातक को स्वयं करनी होगी और उन्हें वहन करना होगा।